संख्या–32/2017–मु0प्र069/58–2017–443/2015

763/ह0,NBB/17 27/10/17

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

NBB-जनपद-446

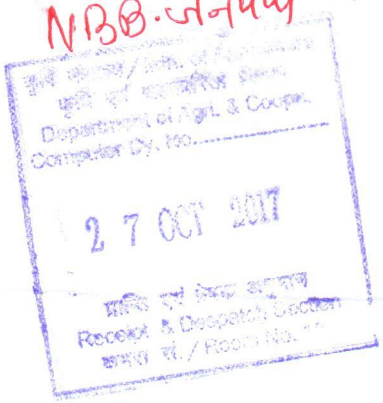

कृषि मंत्रालय/ Min. of Agriculture
कृषि एवं सहकारिता विभाग
Department of Agri. & Coopn.
Computer Dy. No.........
27 OCT 2017
प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग
Receipt & Despatch Section
कमरा सं./ Room No.

1– प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4– प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5– प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2017

विषय :– मुधमक्खी पालन हेतु मुधमक्खी के बाक्स एवं शहद एवं अन्य उत्पादों के प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर परिवहन संबंधी रोक न लगाये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र सं0–20–9/2017–एनबीबी, दिनांक 27.09.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि मधुमक्खियॉ कृषि एवं औद्यानिक फसलों में पर–परागण के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी तो है ही साथ–साथ शहद एवं अन्य उत्पाद जैसे रॉयल जैली, बी पालेन, प्रोपोलिस, बी वैक्स, बी वेनम आदि के उत्पादन से कृषकों की आय में वृद्धि करने एवं रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है।

2– मुधमक्खी की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत "मौनपालन के माध्यम से परागण को प्रोत्साहन " कार्यक्रम भी संचालित करके कृषकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी

Pl. put up in concl file
27/10/17

-2

जा रही है। इसी क्रम में नेशनल बी बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मौन पालकों के पंजीकरण की व्यवस्था भी की गयी है। भारत सरकार द्वारा मौनपालन को कृषकों की आय दोगुना करने में सहायक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में चिन्हित किया गया है।

3– देश में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न जलवायु एवं फसल प्रणाली होने के कारण मौनपालकों को मधुमक्खी के बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा कभी–कभी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माइग्रेट करना पड़ता है, जिससे मधुमक्खियों को शहद, नेक्टर एवं पराग की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो सके। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.09.2017 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि मौनपालकों को मधुमक्खी के बक्सों को माइग्रेशन के समय तथा विभिन्न स्थानों पर रखने के दौरान कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कई बार जिले/प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग के दौरान बक्सों को परिवहन करने वाली गाड़ियों को रोके जाने से, बक्सों को रखने के दौरान चोरी आदि से, वन विभाग द्वारा शहद को वन उपज की श्रेणी में मानते हुए परिवहन पर रोक लगाने आदि की कार्यवाही से मौनपालकों को अत्यन्त कठिनाई होती है। भारत सरकार द्वारा उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में मौनपालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु नेशनल बी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था/विभाग से पंजीकृत मौनपालकों को मधुमक्खी के बक्सों के प्रदेश के अन्दर अथवा प्रदेश के बाहर परिवहन करने तथा रखे जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक न लगायी जाय तथा इन्हें हर प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या–32 / 2017–मु०नि०69(1) / 58–2017, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पत्र दिनांक 27.09.2017 के क्रम में।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(9) समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।